



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126651

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 12035 वर्ष 2026

ज्ञान देवी

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदिका के अधिवक्ता : सुनील कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 31 वर्ष 2026, धारा 85, 80(2), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना - दादों, जिला-अलीगढ़ में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदिका मृतका की सास है और एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदिका दिनांक 19.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका का विवाह सह-अभियुक्त श्यामवीर के साथ वर्ष 2022 में संपन्न हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार अभियुक्तों ने 5.00 लाख रुपये और एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मोटरसाइकिल की दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 27.01.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रथम सूचनाकर्ता को मृतका की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया। विवेचना के उपरांत, श्यामवीर (मृतका का पति), कल्याण सिंह (मृतका का ससुर) और ज्ञान देवी (मृतका की सास) के विरुद्ध दिनांक 03.03.2026 का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि प्रथम सूचनाकर्ता के प्रार्थना पत्र पर, वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे आरोपों के साथ दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में तीन दिन का स्पष्टीकरण रहित विलंब है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचनाकर्ता की पुत्री का पंचायतनामा दिनांक 27.01.2026 को किया गया था जिसमें प्रथम सूचनाकर्ता उपस्थित था और वह पंचायतनामा का गवाह है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के गले पर मृत्यु पूर्व फांसी का निशान पाया गया। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व फांसी के कारण श्वासावरोध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अभियुक्तों ने मृतका की हत्या की होती, तो उसे कुछ अन्य चोटें भी आई होतीं। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में, मृतका ने स्वयं आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके नवजात दूसरे बच्चे की घटना से लगभग 15 दिन पूर्व मृत्यु हो गई थी और उसका पति घटना के समय दिल्ली में नौकरी कर रहा था जो उसे दिल्ली नहीं ले गया यद्यपि वह अपने पति के साथ जाना चाहती थी। अतः उसने हताशा में आकर आत्महत्या कर ली। अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदिका को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इन परिस्थितियों में, आवेदिका जमानत पर रिहा होने की हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगी।

4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदिका को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की विषय-वस्तु का अवलोकन करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की कठोरता, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदिका का जमानत का मामला बनता है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदिका-ज्ञान देवी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 1.00 लाख रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) और उसी धनराशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतें) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदिका ऐसे किसी भी अपराध को नहीं करेगी या उसमें भाग नहीं लेगी जो उस अपराध के समान हो जिसकी वह आरोपी है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, तथा वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(iii) आवेदिका इस आशय का एक वचनपत्र (शपथ पत्र) प्रस्तुत करेगी कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगी। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता (तत्स्थानी धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि, आवेदिका विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तत्स्थानी धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदिका ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तत्स्थानी धारा 209 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करेगा।

(vi) आवेदिका (1) मामले के प्रारंभ होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तत्स्थानी धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

10 जून, 2026

वी.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।